रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 917] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 3, 2003/आश्विन 11, 1925
No. 917] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2003/ASVINA 11, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2003

का०आ० 1164(अ).— यतः नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (जिसे इसमें इसके पश्चात एन0एल0एफ0टी0 कहा गया है) का स्पष्ट लक्ष्य त्रिपुरा के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग से और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र "बोरोक्लैण्ड त्विपरा" की स्थापना करना तथा अलगाव के लिए त्रिपुरा के स्थानीय लोगों को भड़काना और इस प्रकार त्रिपुरा को भारत से अलग करना है;

और यतः ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (जिसे इसमें इसके पश्चात ए0टी0टी0एफ0 कहा गया है) का स्पष्ट लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग से त्रिपुरा , असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय तथा अरूणाचल प्रदेश को शामिल करके सात प्रदेशों के एक प्रथक राष्ट्र की स्थापना करना, जिससे उक्त राज्य भारत से अलग हो सकें तथा इन राज्यों को भारत संघ से अलग करने के लिए सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना है और इस प्रकार इन राज्यों को भारत से अलग करना है;

और यतः केन्द्र सरकार का मत है कि एन0एल0एफ0टी0 और ए0टी0टी0एफ0:

(i) अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्रोही तथा हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं और इस प्रकार इन्होंने सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाई है और लोगों में डर एवं आतंक फैलाया है,

(ii) ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) और मणिपुर के मैतेई उग्रवादी गुटों जैसे अन्य विधि विरूद्ध संगठनों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे सम्बन्ध स्थापित किए हैं,

(iii) हाल में पिछले कुछ समय में अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई हिंसक तथा विधि विरूद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जोकि भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर हैं।

और यतः केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि हिंसक एवं विधिविरूद्ध गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है:-

(क) नागरिकों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या,

(ख) त्रिपुरा में व्यवसायियों एवं व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन ऐंठना,

(ग) गुप्त एवं अवैध माध्यमों से भारी मात्रा में अत्याधुनिक शस्त्र एवं गोलाबारूद प्राप्त करना तथा उन्हें गुप्त रूप से पड़ौसी देश के माध्यम से त्रिपुरा में लाना,

(घ) सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण, शस्त्र एवं गोलाबारूद आदि की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए पड़ौसी देश में शिविर स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना,

(ङ) त्रिपुरा में जनजातीय एवं गैर जनजातीय समुदायों के बीच साम्प्रदायिक संघर्ष उत्पन्न करने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए त्रिपुरा के दूसरे जनजातीय उग्रवादी संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना।

और यतः केन्द्र सरकार का मत है कि एन0एल0एफ0टी0 और ए0टी0टी0एफ0 की उपरोक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता एव अखंडता के प्रतिकूल हैं तथा ये विधि विरूद्ध संगम हैं,

अतः अब विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन0एल0एफ 0टी0) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए0टी0टी0एफ0) को विधि विरूद्ध संगम घोषित करती है,

और यतः केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि इन पर तत्काल नियंत्रण न किया गया तो एन0एल0एफ0टी0 और ए0टी0टी0एफ0 को निम्नलिखित कार्यों के करने का अवसर मिल जाएगाः-

(i) अलगाववादी, विद्रोही, आतंकवादी एवं हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने काडर को संगठित करना,

(ii) भारत की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय अखण्डता के प्रति वैमनस्य भाव रखने वाली शक्तियों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करना,

(iii) अधिकाधिक नागरिकों की हत्याएं करने में संलिप्त रहना तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों को निशाना बनाना,

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक गैर कानूनी हथियार एवं गोलाबारूद प्राप्त करना और लाना।

(v) अपनी गतिविधियों के लिए जनता से बड़ी राशि इकट्ठा करना तथा जबरन धन ऐंठना।

और यतः उपरोक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, केन्द्र सरकार की यह पक्की राय है कि एन0एल0एफ0टी0 और ए0टी0टी0एफ0 को तत्काल प्रभाव से विधि विरूद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, उक्त धारा 3 की उप धारा 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्यधीन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 9/6/2003/-एन.ई. I]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2003

S.O. 1164(E).— Whereas the National Liberation Front of Tripura (hereinafter referred to as the NLFT) has its professed aim, to establish an independent "Borokland Twipra" by liberation of Tripura from India through armed struggle in alliance with other armed secessionist organizations of Tripura and incite indigenous people of Tripura, for secession and thereby the secession of Tripura from India;

And whereas the All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as the ATTF) has its professed aim, the formation of a separate nation of seven sisters comprising Tripura, Assam, Manipur, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalaya and Arunachal Pradesh resulting in bringing about the secession of the said States from India, in alliance with other armed secessionist organizations of the North East region and to carry on armed struggle for separation of these States from India and thereby secession of these States from India;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the NLFT and the ATTF have, -

(i) been engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving its objective;

(ii) established linkages with other unlawful associations, viz., the United Liberation Front of Assam (ULFA) and Meitei extremist outfits of Manipur with the aim of mobilizing their support;

(iii) in pursuance of its aim and objective in the recent past, engaged in several violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that their violent and unlawful activities include, -

(a) killing of civilians and personnel belonging to the Police and Security Forces;

(b) extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura;

(c) procuring large number of arms and ammunitions, including sophisticated ones, through clandestine or illegal channels and inducting them secretly into Tripura through a neighbouring country;

(d) establishing and maintaining camps in a neighbouring country for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunitions, etc.;

(e) establishing and maintaining linkages with other Tripura tribal extremist groups for causing and fomenting communal clashes between the tribal and non-tribal communities in Tripura;

And whereas the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the NLFT and the ATTF are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and the All Tripura Tiger Force (ATTF) as unlawful associations;

And whereas the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control, the NLFT and the ATTF will take the opportunity to, -

(i) mobilize their cadres for escalating their secessionist, subversive, terrorist and violent activities;

(ii) propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(iii) indulge in increased killings of civilians and targeting of the Police and Security Forces personnel;

(iv) procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the international border;

(v) extort and collect huge funds from the public for their activities.

And whereas, the Central Government, having regard to the above circumstances, is of the firm opinion that it is necessary to declare the NLFT and the ATTF as unlawful associations with immediate effect; and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of the said section 3, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 9/6/2003-NE. I]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.

285965/03-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.